

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28()पंरावि / पशा 2 / स स -पं प्र अ / सेवा निवृत्त / 2020 // 132

जयपुर दिनांक: 27-07-20

:: आ दे श ::

निम्न कार्मिक सहायक विकास अधिकारी (पंचायत प्रसार अधिकारी) के रूप में अधीनस्थ सेवा में कार्यरत थे, का स्वर्गवास हो जाने के कारण इन्हें औपचारिक रूप से इनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से, राज्य सेवा से सेवा समाप्त/सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक सर्व श्री	वर्तमान पदस्थापित स्थान	स्वर्गवास दिनांक
1.	भूराराम	पं.स. कोलायत (बीकानेर)	07.06.2020
2.	खिराजाराम नायक	पं.स. श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)	22.06.2020

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित कार्मिकों के विरुद्ध आज तक:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बीकानेर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति कोलायत/श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)।
5. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)